

नवम्बर, 1984 के दंगे

196. श्री राम जेठमलानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1984 के दंगों में दो हजार से भी अधिक व्यक्ति मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संख्या के संबंध में सरकार के पास वास्तविक जानकारी क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन हत्याओं के संबंध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके विरुद्ध मुकदमें दायर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चला पर सितम्बर, 1988 तक दण्डित किया जा चुका है और बाद में कितने व्यक्तियों को खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लतोष मोहन देव) : (क) जी हां, ऐसा है।

(ख) न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में उक्त आड़वा समिति के अनुसार नवम्बर, 1984 के दंगों में दिल्ली में 2733 व्यक्ति मारे गये।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1984 दंगों के संबंध में भा०द०स० की रा 302 के अंतर्गत इन मामलों में कुल 128 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। हाल ही में 6 अभियुक्त व्यक्तियों को दोष सिद्ध किया गया और जीवन कारावास की सजा दी गयी। 1 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें वापस ले गये।

अन्य स्थानों के संबंध में गृह मंत्रालय सूचना उपलब्ध नहीं है।

जैन-बैनर्जी समिति के सुझाव

197. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्टूबर, 1988 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "जैन-बैनर्जी पैनल सजेसन रिजर्विड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। तथापि, तथ्य ये हैं कि महेश और 18 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/436/304 के अधीन एक मामला (प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 593/84 याना मोती नगर) दर्ज किया गया। इस मामले का विचारण, अतिरिक्त सब न्यायाधीश दिल्ली के न्यायालय में किया गया जिन्होंने तारीख 26-5-1988 के अपने आदेश में अभियुक्तों को बरी कर दिया। अगस्त में जैन-बैनर्जी समिति के सचिव ने अभियोजन निदेशक दिल्ली को लिखा कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है और सुझाव दिया कि इसे सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में दायर किया जाए। दिल्ली प्रशासन द्वारा मामले पर अपने विधि विभाग से परामर्श करके विचार किया गया। तथा यह पाया गया कि अपील में सफलता मिलने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि मुख्य गवाहों ने भीड़ के सदस्य के रूप में किसी अभियुक्त की शिनाख्त नहीं की। समिति ने भी अपील दायर करने के लिए कोई आधा-अधवा कारण नहीं दिया। इसलिए दिल्ली प्रशासन ने इस मामले में अपील न करने का फैसला किया।